



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102020-222617
CG-DL-E-21102020-222617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3302]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2020/आश्विन 29, 1942

No. 3302]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2020/ASVINA 29, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3722(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खण्ड (ख) के उप-खंड (iv) के अनुसरण में, एतद्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के भारत के राजपत्र, असाधारण - भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 3721(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2019 में संशोधन करती है, अर्थात्,—

उक्त अधिसूचना में “1 नवंबर, 2020” शब्द और अंको के स्थान पर “1 नवंबर, 2021” शब्द और अंको को रखा जाएगा।

[फा. सं. एक्स.11014/8/2018-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 3721(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2020

S.O. 3722(E).—In pursuance of sub-clause (iv) of clause (b) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) No. S.O. 3721(E), dated the 16th October, 2019 published in PART II - Section 3 - Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, namely,—

In the said notification, for the words and figures “the 1st day of November, 2020”, the words and figures “the 1st day of November, 2021” shall be substituted.

[F. No. X.11014/8/2018-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3721(E), dated the 16th October, 2019.